

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 641776



मान विवेक

हैं भारतीय सिविल प्रोसेच्यूर कोड की अनुसूची में शामिल हैं। 30.12.2002 तक जारी की गई सिविल प्रोसेच्यूर कोड को लागू करने के लिए भारत सरकार ने नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड लागू किया है। नए कोड, पुराने कोड के अलावा के सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।

यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड के अलावा नए सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।

यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।

शर्तें

1. यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।
2. सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।
3. यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।
4. यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।
5. यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।
6. यह कोड नया सिविल प्रोसेच्यूर कोड में परिवर्तन लाया गया है।

६३३ शुभचिन्तक रजिस्टर्ड ६३३ शुभचिन्तक रजिस्टर्ड

8280

27/11/13

शक्ति संस्था में आया 70 भाग सिंह कि बाबाजी...  
13/11/13

Mina Aary  
13/11/13

Settlement

भावपत्र

13/11



13/11/13  
13/11

13/11

श्री भगवान सिंह बाबाजी...  
13/11

13/11







8253  
50

Q715 8250  
1

~~Mohd. Asif~~  
~~...~~  
27/11/13

2

Q715

Stamp




8253

\_\_\_\_\_

2

Q715



...  
Javed  
13/11/13

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

AP-220048

1. अधिकार का अर्थ है अन्तर्गत आधिकारिक अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करना।
2. धर्म-विषयक विवादों का अर्थ है धर्म के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
3. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
4. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
5. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
6. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
7. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
8. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
9. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
10. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
11. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
12. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
13. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
14. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।
15. धर्मिक व अधार्मिक विवादों के अन्तर्गत कार्य करने के अन्तर्गत कार्य करना।

गुणसहायक सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

1925  
8

2112 8290  
|

~~Special Agent~~  
Walter ...  
27/10/1925

21





# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

AP 220049

46. अनुसूचित व अनुसूचित जातियों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता।
47. जब संसद एक अध्यादेश द्वारा एक विधेयक को पारित करे तो उसे पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
48. देश को एक संसदीय प्रणाली के तहत ही चलाना ही संसद का उद्देश्य है।
49. संसद-समय पर संसद के सदस्यों को उपस्थित व सभ्यतापूर्वक भाग लेना ही संसद के उद्देश्य हैं।
50. संसद एक अध्यादेश द्वारा एक विधेयक को पारित करे तो उसे पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
51. संसद एक अध्यादेश द्वारा एक विधेयक को पारित करे तो उसे पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
52. संसद-समय पर संसद के सदस्यों को उपस्थित करना।
53. संसद-समय पर संसद के सदस्यों को उपस्थित व सभ्यतापूर्वक भाग लेना ही संसद के उद्देश्य हैं।
54. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
55. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
56. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
57. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
58. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
59. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।
60. संसद के एक ही सदस्यों को एक ही विधेयक को पारित करने के लिए संसद को वापस लेना पड़ेगा।

शुभाकर शर्मा

8281  
AS

217) 2250  
1

~~2013~~  
29/1/13



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 220045

6

1. अशोक स्तूप का अक्षरों में नाम लिखें।
2. भारत में स्तूप का प्रथम उदाहरण कौन सा है।
3. स्तूप की शक्ति का प्रतीक कौन सा है।
4. स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था।
5. अशोक स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था।
6. यह स्तूप किस राज्य में स्थित है।

उत्तर :-

1. अशोक स्तूप का अक्षरों में नाम लिखें।
2. भारत में स्तूप का प्रथम उदाहरण कौन सा है।
3. स्तूप की शक्ति का प्रतीक कौन सा है।
4. स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था।
5. अशोक स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था।
6. यह स्तूप किस राज्य में स्थित है।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

8291  
50

2115) 8290  
1

Mahd. Army  
L. No. 16  
2115

Armed







- 2. यह विधि अमल इन के विनियम भी किया जा सकेगा।
- 3. नगर की छाती या परिधानम अथवा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में से किसी एक के सदस्य के द्वारा।

**बैठक :-**

- 1. नगरी सभा के अध्यक्षों अथवा और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा चयित नगरी सभा के सभी के अनुपस्थिति में नगर सभा द्वारा चुना गया नगरी सभा।
- 2. नगरी सभा की बैठक दोपहर 12 बजे से 2/3 सदस्यों का होगा।
- 3. नगरी सभा का निर्णय, अर्थात्पछे के अध्यक्ष में उपस्थिति एवं भागदान करने वाले नगरियों के बहुमत से किया जाएगा और सभी और यह संभव होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले नगरी निर्वाचक या भी इसके कर सकेगा।
- 4. नगरी सभा के समस्त निर्णय अथवाक द्वारा किया किन्तु यह तथा सभा के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में संशोधन किये जायेंगे और सभी कार्यक्रम नगरी सभा के निर्णय का निरन्तरणक प्रभाव होगा।

**विधि एवं लेखन कार्य -**

- 1. नगर की छाती या अन्य विधियों के विधि नगर सभा, सुधार, अधिकारी या नगरपाली विद्वान का सहायता है। नगरपाली में नगर के सभा में भी विवाद होगा, उसका प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष करेंगे।
- 2. सभासद को नगर की और से सभी कार्यों पर हस्ताक्षर करने काय प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

**संपत्ति -**

- 1. नगर संपत्ति अर्जित कर सकेगा कि तथा धन या अनुदान किसी भी व्यक्ति, संस्था तथा सभा के से सकेगा है।
- 2. नगर की अथवा नगरपाली या संशोधन, नगर के विधि के विधि नगर के निर्णय के अनुसार किया जायगा।
- 3. में नगरपाली, इस दृष्टि में नगरी 1000/- (एक हजार रुपये) धन से एक रुप को कि दृष्टि का सुखन होगा।

**परिचाल -**

नगरी सभा, नगर के सदस्यों की सुविधा एवं कार्य को सुचारु रूप से की सुविधा से ऐसे विधि का सकेगा और एसे से संशोधन कर सकेगा जो इस विधि के अंतर्गत न हो।

**नगर की अर्थात् संस्थाओं का प्रबंधन -** नगरी द्वारा संचालित संस्था प्रकल्पों, संस्थाओं, दूसरी प्रकल्पों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधायकालयों, प्रविधिक विद्या संस्था, शिक्षणालयों अन्य सभी प्रकल्प की संचालन एवं सेवा प्रकल्पों यदि की नगरपाली होने की या सकेगी है। और उसके की सुचारु संचालन के विधि संचालित व संचालन नगर के संचालित व संचालित की जा सकेगी है जिसमें दूसरी के अर्थात् विधि अधिकारी यदि की भी शामिल किया जा सकेगा और उसके संचालित, असाधारण, दूसरी यदि का निर्णय नगर द्वारा के अनुपस्थित नगर के अर्थात् व निर्णय में होने और ऐसे संचालन में नगर का प्रकल्प, अनुदान, निदान व निर्णय साथ होगा।

ऐसे सभी कार्य अथवा ऐसे सभी किन्तु जिसका अर्थवत् नहीं किया गया है उसे पर निर्णय संस्था सदस्यों के 2/3 विधि बहुमत से विधि नगरी का संचालित विधि निर्णय से संचालन संचालन का 2/3 विधि बहुमत आवश्यक होगा।

नगर सभा की किसी भी सदस्यकारी/सदस्य द्वारा तथा या उसके किसी भी निर्णय अथवा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन संचालित किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नगरपाली किये जाने अथवा किसी प्रकल्प की विधि अधिकारिता में सम्मिलित होने जाने पर उसकी संख्या 2/3 बहुमत से संचालन की जा सकेगी है।

यदि किसी सदस्यकारी की कार्यवाही के बीच में दृष्ट/संस्था विधि में बदले की आवश्यकता पड़ेगी है तो उसे 2/3 बहुमत से उसे अथवा या संचालन है और 2/3 बहुमत से ही दूसरे संचालन को चुन ले जा सकेगा है।

*(Handwritten signatures and text at the bottom of the page)*







3. ट्रस्ट के नाम की कार्यकारी समिति की बैठक का योग 2/3 योग्य पक्षों किसे देना व योग्य पक्ष में होने की शक्ति में संशय नहीं है। अतः पक्षों के अनुसार ही चुनाव भी देना व योग्य का योग्य शक्ति नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए परिस्थितियों की बैठक करने का संबंधी शक्ति नियमों की पुष्टि नाम की कार्यकारी समिति की बैठक चुनाव का संबंधी शक्ति नियमों की पुष्टि नाम की कार्यकारी समिति की बैठक में संबंधी शक्ति।

**कार्यकारी का प्रथम व चुनाव :-**

नाम की कार्यकारी का कार्यकारण पक्ष नहीं के लिये होगा, कार्य पूरा होने के दो पक्ष के अथवा चुनाव अथवा एवं प्रथम की शक्ति पर आधारित नाम के नवीनता में चुनाव का शक्ति करें, जिसकी शक्ति शक्ति संबंधित शक्ति में अथवा अथवा की जाय।

यदि किसी कारण नवीनता कार्यकारी से इस नियम पर पक्षों है कि ट्रस्ट का संशय व अथवा उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, कि अन्य पक्ष अथवा होगा कि वह 2/3 योग्य व कार्यकारी से निर्णय जारी इस नाम की किसी नाम अथवा नामों ट्रस्ट की कि शक्ति व शक्ति की का अथवा अथवा में अथवा शक्ति शक्ति कर दे।

1. ट्रस्ट का नाम :- श्री गुरु एम्बदास जी स्मृतिगत इन्द्रीयन एवं अथवा वेदाथन स्मृतिगत (2000)
2. ट्रस्ट का पूरा नाम :- अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
3. ट्रस्ट का कार्यकारी :- अथवा का 20 योग्य
4. ट्रस्ट की सदस्यता अथवा सदस्यों की वर्ग :- शक्ति शक्ति की अथवा के अथवा

**1. संस्थापक सदस्य :-**

इस वर्ग में व सदस्य अथवा शक्ति ट्रस्ट की अथवा की है तथा ट्रस्ट के शक्ति की है, वे इस ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं।

**2. आजीवन सदस्य :-**

इस वर्ग में व सदस्य अथवा जो ट्रस्ट के सदस्य अथवा का नाम की का 5,00,000/- (पाँच लाख) रूप्यक अथवा देवे।

**6. सदस्यता की शक्ति :-**

सदस्यता की शक्ति शक्ति का व परिस्थितियों में होती :-

1. शक्ति के अथवा
2. अथवा के अथवा
3. अथवा द्वारा शक्ति होने पर
4. शक्ति होने पर
5. अथवा व अथवा अथवा पर
6. अथवा के शक्ति अथवा अथवा पर
7. अथवा की शक्ति में अथवा व अथवा पर

**6. ट्रस्ट के अथवा :-** ट्रस्ट के दो अथवा हैं :-

1. अथवा अथवा
2. अथवा कार्यकारी

**7. अथवा अथवा :-**

**(अ) अथवा :-**

अथवा अथवा 2 (1) से 3 अथवा में शक्ति तभी तभी सदस्य जो अथवा द्वारा अथवा शक्ति अथवा अथवा का अथवा अथवा

**(ब) बैठक :-** (1) अथवा की बैठक शक्ति :- (1) अथवा बैठक (2) शक्ति बैठक

*(Handwritten signatures and text)*

(ग) चुनाव अवधि :-

1. सामान्य बैठक - एक बैठक प्रति वर्ष होगी। एक बैठक को नोटिस एवं संचालन बैठक अधूरा हो कर चलायी है। नोटिस में बैठक का एजेंडा, समय, स्थान एवं दिनांक देना होगा।
2. विशेष बैठक - 14 दिन की कल्प नोटिस पर बुलाई जा सकती है।

(घ) वार्षिकी (ओएम) :-

संस्थान (संस्थान) सभा के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा वार्षिकी सत्रे जलसे केविल यदि वार्षिकी के अभाव में खाली बैठक नहीं हो पाती है तो अगली बैठक को वित्त वार्षिकी द्वारा व्यवस्थित है।

(ङ) विशेष वार्षिक अविवेकन की विधि :-

संस्था/संस्थान सभा का विशेष अविवेकन वर्ष में एक बार होगा।

(च) संस्थान सभा के कार्यकाल एवं अधिकार :-

वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान सभा की बैठक विलम्बित/विशेष दिनों पर विचारमें होगी -

1. ट्रस्ट की संरक्षण सभा के सदस्यों की वार्षिकी।
2. संरक्षण की विधि में अतिरिक्त बैठक।
3. ट्रस्ट के सभी विधियों पर परामर्शन देना।
4. प्रबन्धकारी समिति का निर्माण करना, अल्पक की अतिरिक्त 4 अन्य परामर्शकारी होने। सदस्यों की मुक्त संख्या 04 से 06 तक होगी।

6. प्रबन्धकारी समिति :-

(अ) नाम :-

प्रबन्धकारी समिति का नाम संस्था/संस्थान सभा में सदस्यों द्वारा होगा। प्रबन्धकारी समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 04 होगी।

1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. उपाध्यक्ष 4. वित्त 5. परामर्शकारी 6. अन्य (02)

(ब) कार्य :- प्रबन्धकारी समिति की दो प्रकार की बैठकें होंगी -

1. सामान्य
2. विशेष

(ग) चुनाव अवधि :-

सामान्य बैठक को वित्त 14 दिन तक विशेष बैठक को वित्त 07 दिन के पारसे प्रबन्धकारी के सदस्यों को बुलाना देनी होगी।

(घ) वार्षिकी (ओएम) :-

वार्षिकी को वित्त कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, यदि संसद के अभाव में बैठक संचालित होगी है तो अगली बैठक को वित्त ओएम की कोई निर्धारित प्रतीक नहीं होगी।

(ङ) वित्त सभा की पूर्ति :-

वित्त सभा की पूर्ति चुनाव द्वारा होगी। इस चुनाव में सदस्यों को का-वेने का अधिकार होगा। अभाव का निर्णय संभव होगा।

(च) प्रबन्धकारी समिति के कार्यकाल एवं अधिकार :-

1. ट्रस्ट की संरक्षण सभा के कार्य की संशुद्धि करना।
2. सदस्यों की अधिकतम कम से संरक्षण का निर्माण करना।
3. ट्रस्ट के सभी विधियों पर परामर्शन एवं विवेक।
4. ट्रस्ट का प्रबंधन।

(ज) कार्यकाल - प्रबन्धकारी समिति का कार्यकाल 03 वर्ष होगा।

 गुलाम रज्ज्वर सिंह



17/9/14



ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ 1219 ನಂ. 1001

ಇವು ಇತಿ ನಂ/ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಂ ಸಂಕುಲ ಸಿಬ್ಬೆ

ನಂ: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಸಿಬ್ಬೆ  
(ಸಿಬ್ಬೆ)  
17/9/14

3. कार्यवाहियों को प्रथम में करा जेम्स।

7. संस्था का कोष (संस्था व्यवस्था) :-

संस्था को आय के सार्वजनिक निम्नलिखित होंगे:-

1. सदस्यता शुल्क
2. अनुदान प्राप्त
3. सहायता व्ययगत
4. दान, कर्म्य आदि
5. बैंक सहायता/संगठनों के अतिरिक्त सहायता
6. अन्य आदि प्राप्त करण।
7. अन्य सार्वजनिक

संस्था के कोष का पूर्ण लेखा व्यवस्था करने का जवाबदायित्व प्रस्तावक एवं या प्रस्तावक का संगत शिक्षक संस्थाओं की सहायता में न्यायेनी।

8. संस्था के आय-व्यय का लेखा परिक्षण :-

प्रस्तावदायिणी अथवा संस्था के सभी प्रकार के लेखा-व्यय का अतिरिक्त करने के लिये अतिरिक्त की नियुक्ति करनी।

9. संस्था द्वारा प्रत्येक वर्षके विभिन्न अवसरों पर आय-व्यय का सार्वजनिक :-

संस्था द्वारा प्रत्येक वर्षके विभिन्न अवसरों पर आय-व्यय का सार्वजनिक अतिरिक्त का संगत प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त का संगत लिये लिये में अतिरिक्त किया है।

10. संस्था की अतिरिक्त :- संस्था के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आकारों होंगे।

1. सार्वजनिक अतिरिक्त
2. सहायता अतिरिक्त
3. दान अतिरिक्त
4. बैंक शुल्क (संस्था सहायता)

यह ध्यान रख सतीरिणी प्रत्येक प्रकार की आय-व्यय की पूर्ण सहायता में संगत शिक्षक अतिरिक्त प्रत्येक संगत पर करा जाये।

संगत सहायता

600

600 सुभाषचन्द्रबोर स्कूल के संगत सहायता

संस्था नं० 1- राजस्थान

राजस्थान पुनः राजस्थान निवासी गौरीनाथ  
सिवाजी बागानी 880 विनायपुर जिला राजपुर ।

संस्था नं० 2-

कुम्ह पुनः जी-ओर हुन निवासी गौरीनाथ  
सिवाजीबाग 880 विनायपुर जिला राजपुर ।





कार दिनांक 13/11/12 को पोली स्टेशन  
 एम.ए. नं. 107 चाल सं. 10  
 के प्लेट नं. 49/76 पर क्रम सं. 110  
 पर रजिस्ट्रीयून किया गया।

(ए. के. शर्मा)  
 सहायक निदेशक  
 चित्तौड़गढ़

आज्ञा कि 22/7/12 को डीलर सं. 3513/12  
 द्वारा अनुपस्थित न्याय प्रक्रिया किया गया।

(शर्मा)  
 22/7/12

कार नं. 1875 सं. 102  
 का प्लेट नं. 49/76 पर क्रम सं. 110  
 पर रजिस्ट्रीयून किया गया।

(शर्मा)  
 15/12/12

2531

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50



IA NON JUE

उत्तर प्रदेश



ESH



BY 736074

## पूरक पत्र(suppliment deed )

। मैं कि सन्तोख सिंह खालसा पुत्र श्री जागन सिंह प्रबन्धक श्री गुरुदास जी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एण्ड कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएशन ट्रस्ट बाजार कला बिलासपुर - रामपुर 20900 न्यास का प्रबन्धक हूँ जो कि मुकिए का आधार नं० 3937 4950 1350 मोबाईल नं० 8077126882 है । मैं ने दिनोंक 13.11.2013 को उपरोक्त विवणित न्यास का पंजीकरण उपनिधन्धक बिलासपुर के कार्यालय मे कराया था । जिसका विवरण कार्यालय की पुस्तक संख्या 4 खण्ड संख्या 18 के पृष्ठ 49/76 पर कम संख्या 110 पर दिनोंक 13.11.2013 को पंजीकृत है। उपरोक्त न्यास पत्र के सम्बन्ध मे यह पूरक पत्र (suppliment deed ) निम्न प्रकार सहरीर की जाती है । उक्त पूरक पत्र की रतमान मे न्यास के लिए अति आवश्यकता है ।

न्यास विवेक दिनोंक 13.11.2013 मे विवणित निम्न लिखित सदस्यों ने अपने पदों से विवेक से त्याग पत्र दे दिये है जो कि न्यास की बोडी ने सर्वसम्मति से निम्न लिखित सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार कर लिये है वे भविष्य मे इस न्यास को सदस्य नहीं रहने इस लिए इस पूरक पत्र की आवश्यकता न्यास को सुचारु रूप से चलाने को लिए नये सदस्यों को शामिल करने के लिए हुई है ताकि भविष्य मे न्यास के कार्य मे कोई बाधा न आये ।

*Gurpreet*



*Gurpreet*





पु. प्र. १५२११ नम्बर का संपादन २१-  
आर. प्र. १५२११ की तिथि १०/८/२०१४  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ - भुवनेश्वर - पत्र  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का पत्र

सन्दीप सिंह मालसा से भागन सिंह भा.  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-  
खिला-बंगपुर

(P)  
राष्ट्रिय स्वाम्य विक्रीता  
सर्विसेस न० १३५/२०१४  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ (बंगपुर)


सूचना नं. १५२११

बही नं. १	संविख्यात नं. २०११	दि. २०१४
विवरण: १) आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१- आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१- आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-		

वी. ए. अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-

पु. प्र. १५२११ का संपादन २१-

विवरण: १) आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-



वी. ए. अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-  
आयुक्त अ. प्र. १५२११ का संपादन २१-

राष्ट्रिय स्वाम्य विक्रीता  
(Signature)  
आयुक्त अ. प्र. १५२११  
बंगपुर  
(Signature)  
आयुक्त अ. प्र. १५२११  
बंगपुर



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 736075

जिन न्याय सदस्यों ने त्याग पत्र दिये उनके नाम व पद निम्न प्रकार हैं

1. श्रीमति सरलाबा कौर पत्नी श्री जसविन्दर सिंह मोहल्ला 551क / 131 गिलावा चन्द्र नगर आलम बाग लखनऊ सदस्य
2. श्रीमति बलविन्दर कौर पत्नी सरदार जगन्जीव सिंह मी 0 कदीर नगर थाना नूरपुर तहसील चौदपुर जिला बिजनौर उ०प्र० सदस्य
3. जसवीर सिंह पुत्र श्री स्व० कृपाल सिंह कबीर नगर थाना नूरपुर तहसील चौदपुर जिला बिजनौर उ०प्र० सदस्य
4. बरधाम सिंह सोढी पुत्र श्री निर्मल सिंह राणा मी० खेडा थाना हल्दीर जिला बिजनौर उ०प्र० सदस्य
5. श्रीमति सतवीर कौर पत्नी श्री सरदार हरवेन्द सिंह मी० बाजार कलौ तहसील बिलासपुर जैनपद समपुर उ०प्र० सदस्य

उपरोक्त विवक्षित समस्त सदस्यगणों के लिखित त्याग पत्रों को विविता न्याय अधिनियम के तहत सार्वसमति से प्रबन्धक व अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं ।

298  
501-

277  
293


Form No. 10

12/01/2020  
राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
जयपुर


नाम : श्री. राजेश कुमार शर्मा

निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रमाणित करने के लिए आवेदन किया जाता है -

श्री. राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री. राजेश शर्मा  
जन्मदिनांक: 15/08/1985  
पता: राजस्थान राज्यपाल कार्यालय, जयपुर



श्री. राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री. राजेश शर्मा  
जन्मदिनांक: 15/08/1985  
पता: राजस्थान राज्यपाल कार्यालय, जयपुर



श्री. राजेश कुमार शर्मा (पिता) का पता

श्री. राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री. राजेश शर्मा  
जन्मदिनांक: 15/08/1985  
पता: राजस्थान राज्यपाल कार्यालय, जयपुर



श्री. राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री. राजेश शर्मा  
जन्मदिनांक: 15/08/1985  
पता: राजस्थान राज्यपाल कार्यालय, जयपुर



श्री. राजेश कुमार शर्मा (पिता) का पता



राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
जयपुर

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 720658

न्यायिक के नियमों के अनुसार निम्न लिखित सदस्यों को उनके लिखित आवेदन पर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर निम्न लिखित सदस्यों को आजीवन सदस्यों के रूप में सदस्य स्वीकार कर लिया गया है।

नव न्याय सदस्यों के नाम व पद निम्न प्रकार रहेंगे।

1. श्री कृष्ण कुमार गंगवार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद आयु 70 साल निवासी ग्राम रास उण्डिया सहसील मिलाक रामपुर रासपुर
2. श्री राज कुमार गंगवार पुत्र श्री कृष्ण कुमार गंगवार आयु 32 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर
3. अनूप कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार गंगवार आयु 35 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर
4. वीर सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार गंगवार आयु 38 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर
5. कुशाग्र गंगवार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह आयु 19 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर-
6. सत्यवीर सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार गंगवार आयु 45 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर
7. धर्मनंद सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार गंगवार आयु 44 साल निवासी मीहल्ला बाजार कलौ (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर

५/५/२३

५/५/२३

क्र. सं. 583  
आयुक्त न्यायाधीश  
राज्य विद्यापीठ संघ  
मुंबई

संज्ञीय वि० जालसा के लिये वि० फा  
कायदा मधील एकाचर वि० फा  
दिल्याने नमूद

राज्य न्यायिक वि० फा  
साईलेंस नं० 133/2014  
मुंबई न्यायालय (एचएच)



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 720659

श्रीमति सुष्मा गंगवार पत्नी श्री सत्यवीर सिंह आयु 44 साल निवासी मीडस्ता  
बाजार कली (लक्ष्मी नगर) बिलासपुर रामपुर

पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रबन्धक श्री संतोष सिंह खालसा अस्वस्थ होने के  
कारण उन्हाने न्यास के प्रबन्धक पद को त्याग दिया। इस आवेग का उन्होंने त्याग  
पत्र दे दिया है जिसको सर्वसम्मति से न्यास के सदस्यों ने स्वीकृत करके उनके स्थान  
पर श्री राज कुमार गंगवार को प्रबन्धक नियुक्त किया गया है।


सरदार अनरजीत सिंह ने कोष अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया है जिनके स्थान पर  
श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सर्व सम्मति से कोषा अध्यक्ष बनाया जाता है तथा उनकी  
साहयता के लिए उपकोषा अध्यक्ष सरदार अनरजीत सिंह को नियुक्त किया जाता है  
यह प्रबन्ध कमेटी अगिले चुनाव तक काम करेगी।

न्यास की प्रबन्ध समिति में से निम्न लिखित सदस्यों को निम्न लिखित पदों पर नियुक्त  
किया जाता है।

क. अध्यक्ष - श्रीमति गुलशरन कौर

ख. उपाध्यक्ष - हरवेन्द सिंह

ग. प्रबन्धक - श्री राज कुमार गंगवार



Handwritten signature or mark.

584  
581

583

18/06/2020

महिला स्वयंसेवा समिती  
जिल्हा नं० 133-2014  
महिला स्वयंसेवा (महाराष्ट्र)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AE 666829

प. उपप्रबन्धक - श्री जसविन्दर सिंह

ड. कोषा अध्यक्ष - श्री कृष्ण कुमार गनवार

घ. उपकोषा अध्यक्ष - सरदार अमरजीत सिंह

अतः इस पूरक पत्र के बाद भविष्य में न्यास के उपरोक्त न्यासी व पदाधिकारियों द्वारा ही न्यास अंतिम गठन तक संचालित किया जाता रहेगा।

अतः यह पूरकपत्र आज दिनांक 19.06.2020 वरोज शुकवार को मकहान निम्न लिखित के सामने ताहरीर करा दिया ताकि वस्तु जल्दतः काम आये और भविष्य में न्यास का कार्य निरन्तर बिना किसी बाधा के चलता रहे।

मकहान नं. 1 शिव कुमार गुप्ता पुत्र श्री बलवीर शरण गुप्ता निवासी मीठ बाजार कल्लो लखीमनगर बिलासपुर जिला रामपुर उ०प्र० आधार नं० 2073 6171 0241 मो० नं० 9639762251

मकहान नं० 2 मुकेश कुमार पुत्र श्री हनुमन्त लाल मि० ग्राम बिकरीदा बिलासपुर रामपुर उ०प्र० आधार नं० 7810 5588 5153 मो० नं० 0012468822

**N. A. ANSAR**  
ADVOCATE  
BILASPUR (RAMPUR)  
Reg. No. 5542/89  
Mob. 9837061571



क्र. 579  
दिनांक 18/06/2020  
रामपुर

सर्वांक सिंह अथवा S/o पवन सिंह II-  
वर्ग नया, जमीनार बिलासपुर  
आवेदन सं. 2020001234567 - रामपुर

(P.D.)

राष्ट्रिय स्वाम्य विधेय  
आदेश सं. 123/2014  
बिलासपुर (राज्य)

जमीन संख्या 1 जिल्द संख्या 3353 के पृष्ठ 309 से 318 तथा अंशक  
3331 पर दिनांक 19/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूजित कुमार राय  
उप निबंधक - बिलासपुर  
रामपुर  
19/06/2020



19/06/2020  
19/06/2020  
19/06/2020

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 720859

8. श्रीमति सुष्मा गंगवार पत्नी श्री सत्यवीर सिंह आयु 44 साल निवासी मोहल्ला बाजार कली (लखी नगर) बिलासपुर रामपुर

पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रबन्धक श्री संतोख सिंह छात्रता अन्वय होने के कारण उन्होंने न्यास के प्रबन्धक पद को त्याग दिया। इस आशय का उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है जिसको सर्वसम्मति से न्यास के सदस्यों ने स्वीकृत करके उनके स्थान पर श्री राज कुमार गंगवार को प्रबन्धक नियुक्त किया गया है।

सरदार अमरजीत सिंह ने कोष अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया है जिनके स्थान पर श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सर्व सम्मति से कोष अध्यक्ष बनाया जाता है तथा उनकी साहयता के लिए उपकोष अध्यक्ष सरदार अमरजीत सिंह को नियुक्त किया जाता है यह प्रबन्ध कमेटी अगले चुनाव तक काम करेगी।

न्यास की प्रबन्ध समिति ने से निम्न लिखित सदस्यों को निम्न लिखित पदों पर नियुक्त किया जाता है।

क. अध्यक्ष - श्रीमति गुलशरम कौर

ख. उपाध्यक्ष - हरवेन्द सिंह

ग. प्रबन्धक - श्री राज कुमार गंगवार



584  
581

582 → 583

(R.S.): 18/06/2020

राजिब खानम विद्येता  
जाटवंत नं 135/2014  
कमीत विद्येता (कमपु)



3513/H



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29 JUN 2017


X 427677

अनुपूरक पत्र

मैं कि सन्तोष सिंह खालसा पुत्र श्री जागन सिंह निवासी बाजार कला लक्ष्मीनगर बाला जी मन्दिर के पास तहसील बिलासपुर जिला रामपुर चण्डिका का हूँ।

(Signature)

(Signature)



3513/H

1. नमो भगवते वासुदेवाय  
 2. नमो भगवते वासुदेवाय  
 3. नमो भगवते वासुदेवाय  
 4. नमो भगवते वासुदेवाय


17/12/21  
 इति  
 17/12/21

श्री युक्त नरसिंह जी सुब्रह्मण्यम्  
 एतद् देवप्रभुः सोमिन्द्र  
 (दुस्य) वाजापि कलां विनासपुर - रामपुर

**पुस्तक संवर्धन**


100000 100 20000 17  
 1000000 100000 100 1000000

श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 पुस्तक संवर्धन  
 विनासपुर  
 17/12/21




श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्

श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्



श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्

श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्



श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्



श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्  
 श्री सुब्रह्मण्यम् श्री सुब्रह्मण्यम्

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 391496

महं कि मुक्तिर ने दिनांक 13.11.2013 को एका न्यास विलेख उपनिबन्धक  
कार्यालय विलासपुर में पंजीकृत कराया था जिसकी पुस्तक संख्या IV खण्ड  
संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 49/76 पर क्र० सं०-110 पर सजिस्ट्रीकृत किया  
गया था

महं



महं



781  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

Registration No. 3517

...


Year 2017

0101 ... ..


...

...

...



*Handwritten signature*






उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

BK 391497

जिसमें अध्यक्ष श्रीमति गुलशरन कौर पत्नी पुत्री स्वर्गीय श्री शौकिन सिंह मेडिल  
निवासी बाजार कला बिलासपुर जिला रामपुर उ०प्र०।

*Gulsharan*



*Gulsharan*





108  
15/07/17  
701




Surfing

Registration No. 2517

Year: 2017

0001  
Surfing  
Surfing



ds



भारतीय नैऋत्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50

FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50


INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 391498

उपाध्यक्ष हर्षवन्द सिंह पुत्र श्री सतोष सिंह खालसा निवासी बाजार कला लक्ष्मीनगर बाला जी मन्दिर के पास तहसील विलासपुर जिला रामपुर।



Phone No. 8737 7986 1357

G. S.

G. S.

Handwritten notes at the top left, including the number 703 and some illegible text.

Handwritten notes in the top center, including the number 2110 and a signature.

Handwritten date 15/07/12 at the top right.



पत्रिका



Registration No. 3913


Year 2017

(W1) **महोदय श्री अशोक-81600462791**  
श्री अशोक  
महोदय श्री अशोक  
अशोक



(W2) **महोदय श्री अशोक-81600462791**

अशोक  
अशोक



Handwritten signature or mark at the bottom right.



अशोक  
अशोक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 391500

- समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्था में संचालित एवं स्थापित करने का कार्य करता है पूर्ण किया जा रहा है।
- अक्त. भविष्य में गूल ट्रस्ट विलेख में क्रमांक 60 में "शिक्षा का विकास करना" के आगे ट्रस्ट विशेष रूप से सिक्ख अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्था में संचालित एवं स्थापित करने का कार्य करता है पदा में सम्झा जाये।

गवाह नं-1

Chama

नवजोत सिंह पुत्र श्री सिन्दर सिंह चीमा  
निवासी माटखेडा रोड बिलासपुर  
जिला समपुर उ०प्र०।

पहचान नं-6168 0466 2791

गवाह नं-2

मयंक सिन्हा एडवोकेट


Mayank

बिलासपुर रामपुर।

रजि० नं-5383/06



Chama



प्रबन्धक

Chama



Mayank  
MAYANK SINHA  
ADVOCATE

No. 5383/06

BILASPUR (U. P.)

705  
15/07/17

701



22/07/2017

1 2617

325 386 3513

200  
20/7/17

200  
20/7/17



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 391499

प्रबन्धक जी श्री संतोष सिंह खालसा निवासी बाजार कलां लक्ष्मीनगर बाला जी मन्दिर को पास तहसील बिलासपुर जिला रामपुर। उप प्रबन्धक सरदार श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह निवासी 551क/131 भिलावा चन्दर नगर आलम बाग लखनऊ ३०१० कोषाध्यक्ष सरदार अमरजीत सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह निवासी गौहल्ला बाजार कलां बिलासपुर जिला रामपुर ३०१० नियुक्त किये गये थे। ट्रस्ट 'श्री गुरु रामदास जी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एण्ड कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (ट्रस्ट) बाजार कलां बिलासपुर (रामपुर) ३०१०' के नाम से पंजीकृत कराया गया था। उक्त न्यास विलेख में न्यास द्वारा किये जाने वाले उद्देश्यों में एक उद्देश्य अर्थात् कमांक ६० शिक्षा का विकास करना से आगे 'ट्रस्ट विशेष रूप से सिक्ख अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्था में संचालित एवं स्थापित करने का कार्य करता है। लिखने से छूट गया अतः इस अनुपूरक पत्र द्वारा दरतावेज पूर्ण करने हेतु कमांक ६० के 'शिक्षा का विकास करना।' के आगे 'ट्रस्ट विशेष रूप से सिक्ख अल्पसंख्यक

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



~~184~~  
~~501~~

210 - u } 701 - C





सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp


Certificate No.	IN-UP46700062995008T
Certificate Issued Date	12-06-2021 12:58 PM
Account Reference	NEWIMPACC (SV)/ Up14110204: RAMPUR, UP:RIMP
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP1411020400714540168375T
Purchased by	SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Description of Document	Article 34A Instrument Correcting a purely Clerical Error
Property Description	Instrument Correcting a purely Clerical Error
Consideration Price (Rs.)	
First Party	SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Second Party	SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Stamp Duty Paid By	SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Stamp Duty Amount (Rs.)	₹5 (Six Hundred And Fifty only)

VERIFIED BY

*[Signature]*  
S.D. BILASPUR, RAMPUR

LOCKED BY

*[Signature]*  
S.D. BILASPUR, RAMPUR



Please verify at [www.upstamp.gov](http://www.upstamp.gov)

सब रजिस्ट्रार कार्यालय



0001206714





संवेदन सं.: 202100121000226

श्री सं. 1

विशेषज्ञ सं. 1875

दि. 2021

विभाजन संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति व इलेक्ट्रिकल जका


पत्र सं. 1

श्री सुभाष जी चव्हेरवार इलेक्ट्रिकल पाठ संवत्स 2019-2020  
संविधान सं. के द्वारा संविधान सं. के द्वारा

विभागी संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344

संविधान सं. 1



श्री सुभाष जी चव्हेरवार इलेक्ट्रिकल पाठ संवत्स 2019-2020  
संविधान सं. के द्वारा संविधान सं. के द्वारा

विभागी संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344



ने विभाजन संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344

श्री विजय कुमार, सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

विभागी संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344

संविधान सं. 2



श्री राजेश कुमार, सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

विभागी संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344



श्री विभाजन संख्या 344 सुभे व सहायक सचिवों से बना समिति

संख्या सं. 344

संविधान सं. 2

संविधान सं. के द्वारा

संविधान सं. के द्वारा

संविधान सं. के द्वारा

संविधान सं. के द्वारा

संविधान सं. के द्वारा



31/05/2021 10:00

31/05/2021 10:00



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp


Certificate No.	: IN-UP48667931335555T
Certificate Issued Date	: 12-Mar-2021 11:44 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14110204/ RAMPUR/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP141102048048755E274234T
Purchased by	: SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Description of Document	: A/cide 34A Instrument Correcting a purely Clerical Error
Property Description	: Inherent Correcting a purely Clerical Error
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: SANTOKH SINGH KHALSA SO JAGAN SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

VERIFIED BY

S. C. BILASPUR, RAMPUR

LOCKED BY

S. B. BILASPUR, RAMPUR



Please write or type below this line



### Security Alert

This e-Certificate of the State Government has been verified at www.e-stamps.gov.in using a Private Public Key of State Govt. The authenticity of the digital signature of the Government will be broken if the digital certificate is tampered with. The State Government is not liable for any loss or damage caused by the use of the e-stamp. The Government is not liable for any loss or damage caused by the use of the e-stamp.



1875

Mayank Sinha  
Advocate  
R. No. 5382/08  
Allahabad District Court (Allahabad)

1875

### अनुपूरक पत्र

मैं कि सन्तोष सिंह साहू का नाम पुत्र भागन सिंह न्यासकर्ता श्री गुरुदास श्री एडवोकेट जनरल इन्स्टीट्यूट एफए कलकत्ता डेवलपमेंट एसोसिएशन ट्रस्ट बंगलौर कक्षा 14/सीड बिलासपुर जिला रायपुर चठ 90 न्यास का न्यासकर्ता/संरक्षक है। साधारण नं० 8337 4980 1358 भी० नं० 8077128682

यह कि मुझिने ने दिनांक 13.11.2013 को एक न्यास जिलेस उपनिम्नलिखित कार्यालय बिलासपुर में पंजिकृत कराया था जिसकी पुस्तक चठ 4 खण्ड चठ 18 के पन्ने चठ 40-75 80 चठ 110 पर

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)



अतः भविष्य में मूल-धन विवेक में पेज १०० & पर सम्पत्ति वाले डीबिंग के ल. ३ के बाद  
कम-ट्रस्ट से जुड़ी समस्त संस्था कम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष से बैंक प्राइवेट,  
सरकारी, साहकारी, प्राचीन बैंक एवं लिमिटेड बैंक आदि एवं वित्त संस्थानों के विकास हेतु,  
कारोबार के प्रवृत्त बनवाने हेतु, जमीन खरीदने हेतु एवं संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त सामग्री  
प्राप्त करने हेतु आदि के लिए कम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं ट्रस्टी की  
सम्पत्ति को भी आवश्यकता पड़ने पर बचक किया जा सकता है। ए.ए.ए. के त्रिभूट्रि





रजिस्ट्रीकृत किया गया था। जिसमें पेज नं० ६ पर सम्पत्ति वाले हेडिंग के नं० ३ के बाद अण का हेडिंग व विवरण लिखना शुरू हो रहा था जो कि उपरोक्त न्याय पत्र के सम्बन्ध में यह पुराने पत्र सर्वसम्मति से निम्न प्रकार उद्घोष की जाती है जो कि वर्तमान में न्याय के लिए अति आवश्यक है।

अण-

ट्रस्ट से जुड़ी समस्त संस्था अण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेषज्ञों से प्राइवेट, सरकारी, सहकारी, वार्डन बैंक एवं लिमिटेड बैंक आदि एवं वित्त संस्थानों के विकास हेतु, कालेज से भवन बनवाने हेतु, जमीन खरीदने हेतु एवं संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त सामग्री प्राप्त करने हेतु आदि के लिए अण प्राप्त कर सकते हैं। ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं ट्रस्टी की सम्पत्ति को भी ले जा सकता पढ़ने पर बनाकर किया जा सकता है। उपरोक्त के लिये ट्रस्टी किसी भी तरीके से इन अणों के पुनर्भुगतान को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि तब किया गया है कि समस्त समय पर सम्पत्ति को बनाकर किया जा सकता है।







अतः इस अनुसूचक पत्र द्वारा दस्तावेज पूर्ण करने हेतु पेज १०० व पर सम्पत्ति वाले हेडिंग के न० ३ के बाद जून-ट्रस्ट से जुड़ी समस्त संस्था जून प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष से, बैंक प्राइवेट, सरकारी, साझाकारी, वाणीज बैंक एवं लिमिटेड बैंक आदि एवं वित्त संस्थानों के विकास हेतु, कालेज के भवन बनवाने हेतु, जमीन खरीदने हेतु एवं संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त सामग्री प्राप्त करने हेतु आदि के लिए जून प्राप्त कर सकते हैं। ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं टरस्टी की सम्पत्ति को भी आवश्यकता पड़ने पर बन्धक किया जा सकता है। प्रमोशन के लिये टरस्टी किसी भी तरीके से इन जूनों के पुनर्भुगतान को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि तब किया गया है कि समय समय पर सम्पत्ति को बन्धक किया जा सकता है पूर्ण किया जा रहा है।





भी वहीके वी इन जर्नों के पुर्नपुनर्गान को सुरक्षित कर सकते है । जैसे कि तय किया गया है कि समय समय पर सम्पत्ति को बन्धक किया जा सकता है । पढा व समझा जाये ।

अतः यह पुरक पत्र आज दि० 12.03.2021 को नवाहन निम्नलिखित के सामने वदरीर कर दिया ताकि वसा जरूरत काम आवे व तदर्थ वे न्याय का कार्य निस्तार बिना किसी बाधा के चलता रहे ।

हस्ताक्षर



*Signature*

मवाह न० 1

विजय कुमार पुत्र हर प्रसाद

नि० ग्राम मुबारकपुर तहसील मिल्क

जिला रामपुर

आधार न० 7335 1160 0508

मो० न० 6397319897



*Signature*

मवाह न० 2

हस्ताक्षर

रजनीश सागर पुत्र गेंदनलाल सागर

नि० ग्राम मुबारकपुर तहसील मिल्क

जिला रामपुर

आधार न० 8644 6975 7545

मो० न० 9759 486472



*Signature*

हस्ताक्षर  
12-03-2021  
Rajendra Singh  
मवाह सिद्धा-1880  
R. No. 3383/21  
तहसील बिलकपुर जिला रामपुर

आवेदन सं०: 202100725902726

पृष्ठ संख्या : जिल्द संख्या 1404 के पृष्ठ 145 से 158 तक क्रमांक 1875 पर  
दिनांक 15/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द कुमार काशिक (पं)

उप निबंधक : बिलासपुर

बिलासपुर  
15/03/2021

शिवम 230 का कालासना  
किया गया।  
रजिस्ट्रीकरण  
बिलासपुर

15/3/21

दिनांक

